न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 02/23 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2023/1

अनवान्

श्री जगन्नाथ पिता स्व. मोडीराम जी शर्मा (पुष्करना) निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

श्री देवीलाल पिता स्व. मोडीराम जी शर्मा (पुष्करना) निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. हाल निवासी 56 श्रीनाथनगर रोवीन स्कूल, कॉलोज रोड निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज.।

श्री कैलाश पिता स्व. मोडीराम जी शर्मा (पुष्करना) निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. हाल निवासी 1 जी, 12, चन्द्रशेखर आजादनगर भीलवाडा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा राज.।

..............प्रार्थीगण

बनाम

श्री बजरंगदास पिता मोहनदास वैष्णव निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

श्री दुर्गेश पुत्र भगवतीलाल निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

श्री जयसुर्या लखारा पुत्र राधेश्याम लखारा निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

..................विपक्षीगण

परिस्थित–

1. श्री कैलाश चन्द्र चौबीसा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री सुशील जैन, अधिवक्ता विपक्षी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक:–11.07.2025

प्रार्थी ने एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया उसके साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा गांव सालरमाला पटवार हल्का सारंगपुरा (कानोड) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज, के साबिक जमाबंदी के खाता संख्या 19 की खसरा संख्या 4 रकबा 02 बिघा 10 बिस्वा तथा खसरा संख्या 07 रकबा 19 बिस्वा कुल रकबा 03 बिघा 09 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है जो पूर्व में प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के संयुक्त खातेदारी से दर्ज थी। वर्तमान सेटलमेंट के बाद खाता संख्या 25 नया 17 पुराना आराजी न. 11, 12, 13, 16, 19 किता 5 बने जिसके रकबा 0.7500 है. भूमि जमाबंदी में हैक्टयर के रूप में भूमि का राजस्व रेकर्ड में अकंन हुआ जिसमें प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 स्व0 किशनलाल जी व स्व. मोडीरामजी के विधिक उत्ताराधिकारी है जिनके नाम विरासत से राजस्व रेकर्ड में नामान्तरण खुल कर उनके नाम आराजीयात दर्ज हुई तथा खातेदार प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का उक्त भूमि में 1/2 संयुक्त हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 [illegible] गोवर्धन का 1/2 हिस्सा दर्ज हो साबिक जमाबंदी अनुसार हुआ तथा [illegible] अनुसार प्रार्थी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा है एवं खातेदार श्रीमती [illegible] हो चुकी है जिसका 1/12 वां हिस्सा राजस्व रेकर्ड [illegible] मृत्यु पश्चात उनके विधिक वारिसान प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के मध्य विधिक रूप समायोजित हो चुका है लेकिन नामान्तरण नहीं खुलने से अभी भी राजस्व रेकर्ड में उनका नाम दर्ज चला आ रहा है तथा उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 157/22500, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/12 हिस्सा है प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:20:32 IST
Reason: SelfAttested

5 का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ तत्पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा नकल जमाबंदी निकलवाई गई तो ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 द्वारा विपक्षीगण को वादग्रस्त भूमि में उनके संयुक्त हिस्से की आराजीयात का बिना बंटवाडा व कब्जा दिये हुए ही बेचान किया गया है और नकल जमाबंदी व नामान्तरण संख्या 17 दिनांक 26.12.2022 व नामान्तरण संख्या 18 दिनांक 30.12.2022 जरिये बेचान से जमाबंदी में विपक्षीगण का बिना जांच पडताल बिना कब्जा लिये दिये ही जल्दबाजी में प्रार्थीगणों की पीठ के पिछे स्वीकृत हुआ जबकि उक्त भूमि का कानूनी रूप से आज दिन तक मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवाडा नहीं हुआ है इस कारण वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं संख्या प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 5 के बिच संयुक्त अधिपत्य व संयुक्त हिस्से, कब्जे की भूमि रही यहां यह भी स्पष्ट करना न्यायोचित है कि विपक्षीगण अजनबी क्रेता होकर केवल राजस्व रेकर्ड में जरिये बेचान खातेदारी में दर्ज हुए हैं।

2. यह कि उक्त कलम न. दो में वर्णित कृषि भूमि का प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 5 के बीच कभी भी कानूनी रूप से मिटस एण्ड बाउन्डस से विभाजन किया हुआ नहीं हैं एवं भूमि संयुक्त स्वामित्व, संयुक्त खातेदारी एवं संयुक्त आधिपत्य की रही और आज दिन तक वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त आधिपत्य एवं खातेदारी कब्जे का काश्त की चली आ रही है। नवीनतम जमाबंदी के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा अपना 1/12 वां संयुक्त हिस्से में से विपक्षी संख्या 1 को 157/15000 हिस्सा विपक्षी संख्या 2 को 157/15000 एवं विपक्षी संख्या 3 को 39/625 हिस्सा जरिये बेचान किया तदानुसार राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी में भी इसी हिस्से अनुसार हिस्सा दर्ज होना अंकित है लेकिन विक्रय की आड में विपक्षीगण अपने बाहुबल के आधार पर मनमर्जी से खरीदा गया हिस्सा बिना बंटवाडा किये कब्जा करना चाहते है इसी आशय से विपक्षीगण ने बदनियती पूर्वक षडयन्त्र कर मेनरोड के पास वाली भूमि को अपनी बता कर प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है जबकि विपक्षीगण ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है न ही ऐसा अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को प्राप्त था क्योंकि वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त आधिपत्य एवं संयुक्त खातेदारी की है तथा बिना कानूनी रूप से मिट्स एण्ड बाउन्डस से बंटवाडा किये वादग्रस्त भूमि के किसी भी भू भाग को अपना बता कर बेचने के अधिकारी नहीं है। जबकि वादग्रस्त भूमि के प्रत्येक हिस्से व भू भाग पर सभी पक्षकारान का बराबर-बराबर हिस्सा है क्योंकि वादग्रस्त भूमि का आज दिन तक मिट्स एवं बाउण्डस के आधार पर कानूनी रूप से कभी भी कोई भी बंटवाडा नहीं हुआ है। अतः विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1, 2 व 3 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सालरमाला पटवार हल्का सारंगपुरा (कानोड) तहसील कानोड के खाता संख्या 25 के खसरा संख्या 11, 12, 13, 16, 19 की भूमि स्थित है। उक्त खसरा भूमि में अन्य खातेदार भी है लेकिन सभी खातेदार अपने हिस्सेनुसार भूमियों के अलग-अलग हिस्सों पर काबिज काश्त है और इस बाबत कोई विवाद नहीं है। उक्त खसरा भूमि में वाद के प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 के स्वामित्व व आधिपत्य के हिस्से की भूमि उत्तरदाता विपक्षीगण ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 21.12.2022 जो श्रीमान उपपंजीयक, कानोड के कार्यालय में दिनांक 21.12.2022 को पंजीकृत किया गया से क्रय कर ली और मौके पर काबिजकाश्त है। उक्त भूमि उत्तरदाता ... भौतिक आधिपत्य प्राप्त करने के बाद राजस्व अभिलेखों में उक्त ... उत्तरदाता विपक्षीगण के नाम पर दर्ज की गई है और ... 15000 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 का 157/15000 वां हिस्सा व विपक्षी संख्या 3 का 39/625 वां हिसरा दर्ज किया गया है। वाद पत्र के प्रतिवादी संख्या ... 3 द्वारा विपक्षी संख्या 1, 2 व 3 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्रों में विक्रित ... के पडौस स्पष्टतया अंकित किये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:20:32 IST
Reason: SelfAttested

है और तदनुरूप ही उत्तरदाता विपक्षीगण को भूमि का आधिपत्य प्रदत्त किया गया और इसी के अनुसार क्रयशुदा भूमि उत्तरदाता विपक्षीगण के आधिपत्य में है।

4. प्रार्थीगण द्वारा इस चरण में न्यायालय को गुमराह करने व भ्रम उत्पन्न करने के लिये मनगढत रूप से भ्रामक व अस्पष्ट कथन किये गये है जो स्वीकार नहीं है उक्त भूमि में सभी खातेदारों उनके हिस्सेनुसार उक्त खसरा भूमि में अलग-अलग हिस्सों में काबिज काश्त है और इस बाबत् कोई विवाद नहीं है। परन्तु वर्तमान में जमीन की बढती कीमतों के कारण प्रार्थीगण के मन में लालच आ गया है और दबाव बनाकर उत्तरदाता विपक्षीगण से रूपये ऐंठने की नियत से यह वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उत्तरदाता विपक्षीगण द्वारा विक्रय करने के दिन से ही क्रयशुदा भूमि उनके स्वामित्व आधिपत्य में है और उनके द्वारा धनबल व भूजबल से भूमि के किसी भी अन्य हिस्से पर कब्जा नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई कब्जा किया है। उत्तरदाता विपक्षीगण द्वारा पत्थर डलवाने पर प्रार्थीगण द्वारा आपत्ति करने व उत्तरदाता विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण को धमकियां देने व जबरन बेदखल करने के कथन मिथ्या व कपोल-कल्पित होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर सभी खातेदार उनके हिस्सेनुसार भूमि के अलग-अलग हिस्सों पर काबिज काश्त है और इस बाबत् कोई विवाद नहीं है परन्तु उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से व वर्तमान में जमीन की बढती कीमतों के कारण प्रार्थीगण के मन में लालच आ गया है और इसलिये प्रार्थीगण द्वारा जानबुझकर मिथ्या आधारों पर यह वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उत्तरदाता विपक्षीगण द्वारा विक्रय करने के दिन से ही क्रयशुद्दा भूमि उनके स्वामित्व आधिपत्य में है और उत्तरदाता विपक्षीगण के आधिपत्य के आधार पर बंटवाड़ा किया जाता है तो उत्तरदाता विपक्षीगण बंटवाडे हेतु सहमत है। उत्तरदाता विपक्षीगण द्वारा धनबल व भुजबल से भूमि के किसी भी अन्य हिस्से पर कब्जा नहीं कर रहें है और ना ही कोई कब्जा किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है

I. **प्रथम दृष्टया मामला :–** प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मूलवाद बंटवाडे व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया तथा उसी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया जबकि विपक्षी संख्या 1 से 3 प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार है जो मौजा सालरमाला पटवार हल्का सारंगपुरा (कानोड) तहसील कानोड की जमाबंदी संवत् 2078-81 की खाता संख्या नया 25 से स्पष्ट है। विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि के हिस्से को अभिलिखत खातेदार से क्रय किया है तथा जिसका नामान्तरण भी पारित किया जा चुका है जिससे विपक्षी संख्या 1 से 3 रेकॉडेड खातेदार है। रेकॉडेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः प्रथम प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध व विपक्षी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

II. **अपूरणीय क्षति :–** प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के विरूद्ध साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध व विपक्षी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

III. **सुविधा संतुलन :–**प्रथम दृष्ट्या मामला, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध व विपक्षी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:20:32 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मूलवाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का [illegible] तथा उसी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान [illegible] का पेश कर बताया कि मौजा सालरमाला पटवार सारंगपुरा (कानोड) तहसील कानोड की आराजी न. 11, 12, 13, 16, 19 किता 5 रकबा 0.7500 है. भूमि में मूल में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा अपना हिस्सा विपक्षी संख्या 1 से 3 का बिना बंटवाडा व कब्जा दिये हुये बेचान किया

है जिसका नामान्तरण संख्या 26.12.2022 व नामान्तरण संख्या 18 दिनांक 30.12.2022 जरिये बेचान से विपक्षीगण का नामान्तरण स्वीकृत हुआ जबकि उक्त भूमि का कानूनी रूप से आज दिन तक कानूनी रूप से बंटवाडा नहीं हुआ। उक्त विक्रय की आड़ में विपक्षीगण अपने बाहूबल के आधार पर मनमर्जी से खरीदा गया हिस्सा बिना बंटवाड़ा किये कब्जा करना चाहते हैं तथा मेन रोड के पास वाली भूमि को अपनी बता कर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा बताया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा जरिये विक्रय दिनांक 20.02.2022 जो श्रीमान उपपंजियक कानोड के कार्यालय में दिनांक 21.12.2022 को पंजिकृत किया गया से क्रय कर मौंके पर क्रयशुदा भूमि का कब्जा कर लिया है और उसी अनुसार मौके पर काबिज है उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज की गई है। उक्त विक्रय पत्र में विक्रित भूमि के पडौस स्पष्टतया अंकित किया हुआ तदनुरूप ही उत्तरदाता विपक्षीगण को भूमि का आधिपत्य किया गया है तथा सभी खातेदार उनके हिस्से अनुसार भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहें है तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 3 प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार है जो मौजा सालरमाला पटवार हल्का सारंगपुरा (कानोड) तहसील कानोड की जमाबंदी संवत 2078–81 की खाता संख्या नया 25 से स्पष्ट है। विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि के हिस्से को अभिलिखत खातेदार से क्रय किया है तथा जिसका नामान्तरण भी पारित किया जा चुका है जिससे विपक्षी संख्या 1 से 3 रेकॉडेड खातेदार है। रेकॉडेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इस संबंध में न्यायिक दृष्टान्त 1. 2018(1) RRT 692 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJER PAN BAI VS CHANDRA PRAKASH & ANR. DATE 14.07.2017 व 2. 2018(2) RRT 1275 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJER BHAGIRATH VS RAMCHANDRA & ORS DATE 19.06.2018 को देखते है तो पाते है कि माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि रेकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपुरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये गये। अन्य बिन्दुओं को मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जा सकता हैं। इस पत्रावली में हमें निर्णय के लिये तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दुओं के आधार पर निर्णय करना हैं। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये जा चुके है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:20:32 IST
Reason: SelfAttested